कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

<u>ई-ऑफिस</u>

संख्या ....सभी विभागों, निदेशालयों, मण्डलों, जनपदों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं अन्य सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर संचालित किए जाने हेतु समय-समय पर विभिन्न शासनादेशो में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है। कृपया इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय के संलग्न पत्र संख्या आर.81 (ई-ऑफिस)/चौतीस-सा०वि०प्र०-2024 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 एवं 62 (ई-ऑफिस)/34-सा०वि०प्र०-2025 दिनांक 17 अक्तूबर, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से निर्देश दिए गए थे कि:-

- समस्त विभागों द्वारा अपने एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (निदेशालय/मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में ई-ऑफिस सफलतापूर्वक लागू किए जाने हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का वित्तीय आंकलन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट/अनुपूरक बजट में अनिवार्य रूप से मांग प्रस्तुत की जाए।
- वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस में सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवन्टन किया जाए।

2- UPLC के माध्यम से दिए जा रहे नियमित प्रशिक्षणों में यह संज्ञानित हुआ है कि कतिपय कार्यालयों में अभी भी अद्यतन हार्डवेयर/सॉफ्टवेर/कनेक्टिविटी की व्यवस्था किया जाना शेष है। स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त कतिपय विभागों में ई-ऑफिस के सफल संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध न कराया जाना चिन्ताजनक है।

3- इस सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि ई-ऑफिस के सफल संचालन आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का आंकलन समस्त विभागों द्वारा कर लिया जाए एवं आवश्यक बजट की मांग वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में अनिवार्य रूप से मांग प्रस्तुत की जाए तथा उक्तानुसार बजटीय मांग को वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए अनुपूरक बजट आवंटित किया जाए।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 13-01-2026
10:54:11

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ०प्र० शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ
संख्या- (ई-ऑफिस) / चौंतीस सां0वि0प्र0/2026
लखनऊ, दिनांकः जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव/विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य मचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ई-ऑफिस से सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवंटन किया जाए।
4. प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ०प्र०शासन
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन / यूपीडेस्को ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रवन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त कुल सचिव, चिकित्सा, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

Digitally signed by
ARVIND MOHAN
Date: 14-01-2026
12:35:21

(अरविन्द मोहन)
संयुक्त सचिव,
मुख्यमंत्री।

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या ....आर.-81 (ई-ऑफिस)/चौतीस-सां0वि0प्र-2024

दिनांक 20/12/2024

ई-ऑफिस

शासकीय कार्य-पद्धति को 'पेपर-लैस ऑफिस' में परिवर्तित करके शासकीय कार्यसंचालन क्षमता में सार्थक सुधार के लक्ष्य के साथ मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विभागों, निदेशालयों, मण्डलों, जनपदों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं अन्य सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने हेतु कार्यवाही चल रही है। इस सम्बन्ध में प्रणाली के समुचित विकास एवं संचालन हेतु समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- समस्त विभागों/कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को समयबद्धता से लागू किए जाने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं:-

1) निदेशालयों के स्तर पर नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी एवं DA (डिपार्टमैन्ट एडमिन) को सम्मिलित करते हुए एक प्रोजैक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन किया जाए ताकि सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय, जनपदीय व अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस से सम्बन्धित कठिनाइयों का निराकरण तत्परता से किया जा सके।
2) प्रदेश के मण्डल स्तरीय कार्यालयों को Division Wrapper एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को Development Wrapper में जोड़े जाने हेतु Division Wrapper के लिए उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या तथा Development Wrapper के लिए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी (DeSTO) को EMD मैनेजर नामित किया जाए।
3) निदेशालय स्तर पर डिपार्टमैन्ट एडमिन (DA Admin) मण्डल, जनपद एवं अन्य अधीनस्थ स्तरों पर अपने विभाग के समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस पर कार्य करने वाले कार्मिकों के ईमेल आई.डी. तत्परता से बनाया जाना सुनिश्चित करें।
4) विभिन्न कार्यालयो में कार्यरत गैर-सरकारी कार्मिकों (कॉन्ट्रैक्ट/ सर्विस प्रोवाइडर) के लिए भुगतान के आधार पर NIC ईमेल आई.डी. बनाए जाने हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाए।
5) जिलाधिकारी कार्यालय से इतर अन्य समस्त विभागीय कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किए जाने हेतु 29 जनपदों में आर्गेनाइजेशन यूनिट्स (OU) बनाए जाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अवशेष जनपदों में आर्गेनाइजेशन यूनिट्स (OU) बनाकर ई-ऑफिस प्रणाली एक पक्ष में लागू की जाए।
6) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, मैडिकल कॉलेजों /इंजीनियरिंग कालेजों/ कृषि महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों एवं स्मार्ट सिटी कार्यालयों को ई-ऑफिस के निदेशालय Instance में सम्मिलित किया जाए।

कृ0 पृष्ठ- 2/ -

File No. 34-13099/1/2026-मुख्यमंत्री कार्यालय-Chief Minister's Office (Computer No. 2009023)

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ,
संख्या- 81(ई-ऑफिस) / चौंतीस-सां0वि0प्र0 /2024
लखनऊ, दिनांक: 20 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग, उ०प्र०शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ई-ऑफिस से सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवंटन किया जाए।
4. प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलैक्ट्रॉनिक्स, उ०प्र०शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभावी कार्यवाही करते हुए समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस को समयबद्ध रूप से लागू कराएं।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन/ यूपीडेस्को।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ निदेशक (आई०टी०) (श्री हेमंत अरोरा), NIC उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कुल सचिव, चिकित्सा, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अरविन्द
(अरविन्द मोहन)
संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री।

File No. 34-13099/1/2026-मुख्यमंत्री कार्यालय-Chief Minister's Office (Computer No. 2009023)
Generated from eOffice by ...

7) समस्त विभागों द्वारा अपने एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (निदेशालय/ मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में ई-ऑफिस सफलतापूर्वक लागू किए जाने हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का वित्तीय आंकलन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में अनिवार्य रूप से मांग प्रस्तुत की जाए।

8) वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस से सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवण्टन किया जाए।

3- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक दशा में 01 जनवरी, 2025 से प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय/ मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में पत्रावलियों का व्यवहरण एवं पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए, किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का व्यवहरण व पत्राचार स्वीकार न किया जाए।

(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ०प्र० शासन।

3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या 62/(ई-ऑफिस)/34-सा०वि०प्र०/2025 दिनांक 17/10/2025

ई-ऑफिस

भारतीय महोदय,

मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या आर.81 (ई-ऑफिस)/चौतीस-सा०वि०प्र०-2024 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ प्रस्तर-2 में निम्नवत निर्देश दिए गए थे कि:-

"(7) समस्त विभागों एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (निदेशालय/ मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में ई-ऑफिस सफलतापूर्वक लागू किए जाने हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का वित्तीय आंकलन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में अनिवार्य रूप से मांग प्रस्तुत की जाए।

(8) वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस में सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवण्टन किया जाए।"

2- मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा UPLC के माध्यम से नियमित रूप से ई-आफिस के संचालन के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ई-आफिस की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि कई कार्यालयों में अभी भी कम्प्यूटर/इण्टरनेट कनेक्टिविटी आदि की व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी कई विभागों में ई-ऑफिस के सफल संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों का उपलब्ध न होना चिन्ताजनक है।

3- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि ई-ऑफिस के सफल संचालन हेतु कम्प्यूटर/इण्टरनेट कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का आंकलन विभागों द्वारा कर लिया जाए एवं तदनुसार बजट की मांग करते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 के "अनुपूरक बजट" में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए तथा प्रस्तावित बजटीय मांगों को वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए अनुपूरक बजट में प्राविधान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

सादर

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उ०प्र० शासन।

File No. 34-13099/1/2026-मुख्यमंत्री कार्यालय-Chief Minister's Office (Computer No. 2009023)
Generated from eOffice by ...

संख्या एवं दिनांक –तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, मुख्यमंत्री,उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन
4. प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ०प्र०शासन
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष्य , उत्तर प्रदेश।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन / यूपीडेस्को ।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उपाध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक उपक्रम, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन)
संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री

File No. 34-13099/1/2026-मुख्यमंत्री कार्यालय-Chief Minister's Office (Computer No. 2009023)